भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †3800
सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

साहसिक पर्यटन के लिए विनियामक ढांचा

†3800. श्री बस्तीपति नागराजूः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनिवार्य प्रवर्तन सुनिश्चित करने हेतु साहसिक पर्यटन प्रचालकों के लिए एक समान लाइसेंसिंग और विनियामक ढांचा बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश भर में उच्च जोखिम वाले साहसिक पर्यटन स्थलों और गतिविधियों की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन या जोखिम-मानचित्रण कार्य शुरू किया है और यदि हां, तो पहचान किए गए स्थानों और प्रमुख निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आदर्श साहसिक पर्यटन सुरक्षा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और कितने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने इन दिशानिर्देशों को अपनाया है अथवा उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(घ) क्या सरकार साहसिक पर्यटन गतिविधियों के कारण होने वाली हताहतों, दुर्घटनाओं और सुरक्षा उल्लंघनों को दर्ज करने के लिए एक केन्द्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पर्यटकों की सुरक्षा में सुधार लाने के लिए निगरानी, अनुपालन और आपातकालीन कार्रवाई तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (ङ): पर्यटकों की सुरक्षा और हिफाजत अनिवार्य रूप से राज्य का विषय है।

पर्यटन मंत्रालय ने संपूर्ण भारत में साहसिक पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और मानकीकृत ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से मॉडल एडवेंचर सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इन

दिशा-निर्देशों के सुरक्षा प्रोटोकॉल को अपनाने और तैयार करने/अद्यतन करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे साहसिक कार्य (एडवेंचर) से संबंधित सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें और सभी ऑपरेटरों द्वारा सुरक्षा नियमों और लाइसेंसिंग मानदंडों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें।

पर्यटन मंत्रालय ने देश में उच्च जोखिम वाले साहसिक पर्यटन गंतव्यों और कार्यकलापों के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है। मंत्रालय के साहसिक पर्यटन कार्यकलापों से होने वाले हादसे, दुर्घटनाओं और सुरक्षा उल्लंघनों को रिकार्ड करने के लिए एक केन्द्रीकृत डाटाबेस स्थापित करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

****